



कार्यालय-ज्ञाप

परीक्षा समिति की 14वीं बैठक दिनांक 04.11.2023 के निर्गत कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-9/14 में विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के अवसर पर निर्धारित किये गये मानकों एवं शर्तों के अधीन वितरित किये जाने वाले विभिन्न श्रेणी के पदकों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	पदक की श्रेणी	मानक
01.	कुलाध्यक्ष पदक (स्वर्ण, रजत एवं कांस्य)	➤ विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार के समस्त संचालित पाठ्यक्रमों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी।
02.	मुख्यमंत्री पदक (स्वर्ण, रजत एवं कांस्य)	➤ विश्वविद्यालय में संकायवार स्नातक स्तर के समस्त संचालित पाठ्यक्रमों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी। ➤ विश्वविद्यालय में संकायवार स्नातकोत्तर स्तर के समस्त संचालित पाठ्यक्रमों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी।
03.	कुलपति पदक (स्वर्ण, रजत एवं कांस्य)	➤ विश्वविद्यालय में विभागवार स्नातक स्तर के समस्त संचालित पाठ्यक्रमों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी। ➤ विश्वविद्यालय में विभागवार स्नातकोत्तर स्तर के समस्त संचालित पाठ्यक्रमों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी।
04.	विशेष पदक	➤ विश्वविद्यालय में प्रदान किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के विशेष पदकों हेतु पदक प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों के संबंध में उनके प्रायोजकों के द्वारा सुझाये गये मानकों/व्यवस्था के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अर्ह विद्यार्थियों को निर्धारित मानकों के सापेक्ष तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किये गये पदकों को निम्नानुसार सशर्त वितरित/प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

- वे विद्यार्थी जिन पर उच्च शिक्षा अर्जित करने के दौरान किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक/दण्डात्मक/यू०एफ०एम० कार्यवाही की गई हो/संज्ञानित हो, वे किसी भी दशा में पदक हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे।
- जिन विद्यार्थियों द्वारा सुधार/बैंक पेपर परीक्षा परिणाम की सुविधा की स्थिति का लाभ प्राप्त किये हुए सर्वाधिक अंक प्राप्त किये गये हैं, ऐसे विद्यार्थी पदक के लिये पात्र नहीं माने जायेंगे।
- यदि पदक वितरण में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि निर्धारित योग्यता के सापेक्ष एक से अधिक विद्यार्थी की समतुल्य-पात्रता (टाईअप) पाई जाती है तो निम्नानुसार वरीयता/मानक प्रणाली के आधार पर वांछित योग्यता के सापेक्ष एक विद्यार्थी को पदक प्रदान किये जाने की पात्रता निर्धारित की जायेगी :-

- समस्त विषयों में समानुपातिक विधि के अनुसार सर्वाधिक विशिष्टतायें (Distinctions) प्राप्त करने वाला विद्यार्थी।

अथवा

- सेमेस्टर में अधिकतम उपस्थिति (औसत गणना के आधार पर)।

अथवा

- पूर्व में उत्तीर्ण पाठ्यक्रम-उच्चतम से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर।

अथवा

(अध्यक्ष/कुलपति के लिये)
परीक्षा नियंत्रक
डा० शकुन्तला मिश्रा
परीक्षा समिति, विश्वविद्यालय, लखनऊ।



- 2 -

➤ जन्मतिथि के अनुसार वरिष्ठ आयु के आधार पर।

4. उपर्युक्त वरीयता के आधार पर भी पदक प्राप्त करने वाले एक से अधिक विद्यार्थी की पात्रता पाई जाती है तो समरूपता के सिद्धान्त पर एक से अधिक विद्यार्थी को पदक दिये जाने का प्राविधान होगा।

अतः उपरोक्तानुसार परीक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(डॉ० अमित कुमार राय)
परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक २०६-७० / COE-31(III)/ DSMNRU/ परीक्षा समिति / 2024-25

दिनांक:- ०३ जून २०२४

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति को मा० कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
3. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
4. समस्त अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक, विश्वविद्यालय।
5. कुलानुशासक, विश्वविद्यालय।
6. अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण, विश्वविद्यालय।
7. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
8. सिस्टम एनॉलिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. परीक्षा विभाग के समस्त प्रकोष्ठ / अनुभाग को अनुपालनार्थ।
10. गार्ड फाइल।

(डॉ० अमित कुमार राय)
परीक्षा नियंत्रक